हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रकाशित पेश हुई। न तो वादि उपस्थित आये और न ही उनके वकील उपस्थित आये। और न ही दिनांक 25/5/16 के बाद प्रतिवादि गण के तलबाना पेश हुये हैं। आवाज लगवाई गई बार बार आवाज लगवाई गई मगर न तो वादी उपस्थित आया और न ही उसका वकील उपस्थित आया। अतः मेरा वादि कथन धारित, श्रवण पेश की एवं कथन तकमील में खारिज किया जाता है। पक्षकारान खर्चा खुद बर्दाश्त करेंगे। फाइल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फैसला सुनाया।	

उप खण्ड अधिकारी
करौली (राज०)